उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।

पत्रांक– 3146 /04(2026)/अधियाचन/ 2025–26 दिनांक 24-3-2026

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 3133 दिनांक 20.03.2026 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा– 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर अपलोड किये जाने की सूचना प्रकाशित की गयी थी, जिसके क्रम में आयोग की उक्त सन्दर्भित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा– 2026 का विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित अपलोड किया गया है। इस प्रकाशित विज्ञापन पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अपत्तियों पर आयोग द्वारा सम्वयक विचार किये जाने के उपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या– 1385/2025 व इसके साथ सम्बद्ध अन्य अपीलों में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को पारित आदेश से आच्छादित/सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र है।
2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या– 5564/2019 व इसके साथ सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस सम्बन्ध में NCTE द्वारा दिनांक 04.08.2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/संचालित संस्था में Teachers Training Course (TTC) में प्रविष्ट/अध्यनरत अभ्यर्थी UP TET – 2026 में आवेदन के लिये पात्र होगें। विज्ञापन के बिन्दु– 6 के उपबिन्दु– 6.1 व 6.2 में **'के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले'** के स्थान पर **'में प्रविष्ट/अध्यनरत'** पढ़ा जाय।
3. प्रकाशित विज्ञापन के बिन्दु संख्या– 6 पात्रता के उपबिन्दु संख्या– 6.3 टिप्पणी के उपबिन्दु– III में उल्लिखित टिप्पणी को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अस्तु कृपया UP TET – 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाय।

उपसचिव
उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग
प्रयागराज।